श्री अरूण सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन सं०-222/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड-अम्बा के बरीयामा गाँव के निकट उत्तर कोयल नहर के मुख्य शाखा के 211 आर०डी० पर सी०आर० गेट में फाटक नहीं लगा है तथा नहर में बनाये गये दीवार के कारण पानी का बहाव पूरी तरह से बाधित है। अतः मैं निवेदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उक्त नहर के सी०आर० गेट में फाटक लगाने एवं नहर से जोड़े गए दीवार को हटाया जाय।	वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलांतर्गत अम्बा प्रखण्ड के बरीयामा गाँव के निकट उत्तर कोयल मुख्य नहर के 211 आर० डी० (कि० मी० 64.31) पर उत्तर कोयल परियोजना के तहत नये शीर्ष नियामक (क्रॉस रेगुलेटर) का निर्माण किया गया है। वर्णित शीर्ष नियामक (क्रॉस रेगुलेटर) में 03 अदद गेटों के अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं खरीफ अवधि 2026 के पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत शीर्ष नियामक के 25 मी० डाउनस्ट्रीम में पूर्व से निर्मित दीवार को हटाते हुए खरीफ अवधि 2026 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–03–17 / 2026 पटना / दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–570 दिनांक–13.04.2026 के आलोक में निवेदन सं0–222 / 2026 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :— 26 / वि0स0—03—17 / 2026 पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :— 26 / वि0स0—03—17 / 2026 पटना / दिनांक :..............................

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल—03, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :— 26 / वि0स0—03—17 / 2026 2481 पटना / दिनांक : 12/5/26

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/5/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव